संख्या-69/2025/2186/23-6099/26/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 12 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 12 लघु सेतुओं हेतु कुल रू0 2217.63 लाख (रूपये बाइस करोड़ सतरह लाख तिरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57 से रू0 1397.83 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 376.28 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1774.11 लाख (रूपये सत्तरह करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	मुख्य अभियन्ता (सेतु) का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
					अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I-85171/2024 , दिनांक 02.12.2024	शामली	जनपद शामली में बधैव से गोहरनी मार्ग पर पूर्वी यमुना नहर पर कि0मी0 1 में स्थित संकरा पुल का पुनःनिर्माण कार्य।	311.85	196.57	52.91	249.48	लो0नि0वि0
2	541/प्रा0आ0 /राज्य योजना /मध्य क्षेत्र क्षेत्र/बी0एम0सी0 /24, दिनांक 07.10.2024	उन्नाव	उन्नाव में नौगवां से सलारपुर सम्पर्क मार्ग कि0मी0-2 में 3x4 मी0 स्पॉन के लघुसेतु का निर्माण का कार्य।	71.12	44.83	12.07	56.90	लो0नि0वि0
3	515/प्रा0आ0 /राज्य योजना /मध्य क्षेत्र क्षेत्र/बी0एम0सी0 /24, दिनांक 03.10.2024	खीरी	जनपद खीरी में विधान सभा पलिया के अन्तर्गत गोला-कुकरा टाउन मार्ग के कि0मी0-7 में स्थित क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3x3.00 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट का कार्य।	130.29	82.12	22.11	104.23	लो0नि0वि0
4	515/प्रा0आ0 /राज्य योजना /मध्य क्षेत्र क्षेत्र/बी0एम0सी0 /24, दिनांक 03.10.2024	खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में सुजानपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0- 1 में 3x3x4 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	135.93	85.68	23.06	108.74	लो0नि0वि0
5	1058/प्रा0आ0 /राज्य योजना /देवीपाटन क्षेत्र/सेतु -3/2024, दिनांक 14.10.2024	बहराइच	जनपद बहराइच में खरखट्टनपुरवा संपर्क मार्ग के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त रपटे एवं आर0सी0सी0 पुलिया के स्थान पर 2 नग 5x4.00x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	254.18	160.21	43.13	203.34	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	1058/प्रा0आ0 /राज्य योजना /देवीपाटन क्षेत्र/सेतु -3/2024, दिनांक 14.10.2024	बहराइच	जनपद बहराइच में चौकसाहार संपर्क मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त डिप के स्थान पर 4x3.00x3.00 मी0स्पान का बाक्स कलवर्ट किमी0 3 में क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 5x4.00x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट, किमी0 4 में ही क्षतिग्रस्त ह्यूम पाइप पुलिया के स्थान पर 1x3.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एवं किमी0 5 में क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 3x.400x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	298.51	188.16	50.65	238.81	लो0नि0वि0
7	1058/प्रा0आ0 /राज्य योजना /देवीपाटन क्षेत्र/सेतु -3/2024, दिनांक 14.10.2024	बहराइच	जनपद बहराइच में महसी टेपरा सम्पर्क मार्ग के किमी0 2 में स्थित क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 11x2x2.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	120.76	76.12	20.49	96.61	लो0नि0वि0
8	1058/प्रा0आ0 /राज्य योजना /देवीपाटन क्षेत्र/सेतु -3/2024, दिनांक 14.10.2024	बहराइच	जनपद बहराइच में कैलाशपुर झुम्मन गांव संपर्क मार्ग के किमी0-1 में पूर्व निर्मित रपटे के स्थान पर 5x4x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	119.89	75.57	20.34	95.91	लो0नि0वि0
9	1058/प्रा0आ0 /राज्य योजना /देवीपाटन क्षेत्र/सेतु -3/2024, दिनांक 14.10.2024	बहराइच	जनपद बहराइच में दोआबा संपर्क मार्ग के किमी0 1 में कटान के स्थान पर 5x4x4 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	122.12	76.98	20.72	97.70	लो0नि0वि0
10	1060/प्रा0आ0 /राज्य योजना /अयोध्या क्षेत्र/सेतु -3/2024, दिनांक 15.10.2024	अयोध्या	जनपद अयोध्या में कुन्दुखकला सम्पर्क मार्ग पर हयूम पाईप रपटा के स्थान पर 6×5 मी0 स्पान के बॉक्स क्लर्वट का नव निर्माण कार्य।	139.87	88.17	23.73	111.90	लो0नि0वि0
11	060/प्रा0आ0 /राज्य योजना /अयोध्या क्षेत्र/सेतु -3/2024, दिनांक 15.10.2024	अयोध्या	जनपद अयोध्या में रौनाही डयोढी अमानीगंज खण्डासा हलियापुर प्रमुख जिला मार्ग पर मडहा नदी पर स्थित सकरे पुल के पास 6x6x5 मी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	422.19	266.11	71.64	337.75	लो0नि0वि0
12	285 नदी सेतु /उन्नाव - बरबट नहर /बी0एम0सी0 /2024-25, दिनांक 14.08.2024	उन्नाव	जनपद उन्नाव में बरबट नहर पुल पर क्षतिग्रस्त आर्च सेतु का पुनर्निर्माण का निर्माण कार्य।	90.92	57.31	15.43	72.74	लो0नि0वि0
योग:-				**2217.63**	**1397.83**	**376.28**	**1774.11**	

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है। विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण आई0आर0सी0 के सुसंगत मानको के अनुरूप कराये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का है।

(9) प्रायोजनार्न्तगत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(10) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(11) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये किया गया है। सेतु निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेंट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप एवं डिजाइन में परिवर्तन इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(12) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11.11.2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष/ संबंधित अधिकारी द्वारा जमा की जायेगी।

(13) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(17) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(18) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत/यांत्रिक खण्डों से संबंधित धनराशि मुख्यालय से सीधे विद्युत/यांत्रिक खण्डों (जिसके द्वारा कार्य किया जाना है) को आवंटित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(19) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 13,97,83,000 (रुपये तेरह करोड़ सत्तान्वे लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 3,76,28,000 (रुपये तीन करोड़ छियत्तर लाख अट्ठाइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-600-X-2024-25, दिनांक 07 जनवरी, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मण्डलायुक्त सम्बन्धित मण्डल/ जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संबंधित कोषाधिकारी ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- बजट आवंटन अधिकारी/नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।